न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा
प्रमोद कुमार सिंन्घव (आर .ए.एस) राजस्व लोक अदालत शिविर प्रभारी अधिकारी उपखण्ड कनवास जिला कोटा

मिसल नंबर 69 / 16 निर्णय दिंनाक 15.06.2017

1. नंदकुमार पुत्र रामलाल जाति धाकड निवासी खेडली कन्दाफल तहसील कनवास।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब कनवास।
2. शिवराज पुत्र रामरत्न जाति धाकड।
3. रामरत्न पुत्र नेनगीराम जाति धाकड निवासी खेडली कन्दाफल तहसील कनवास

उपस्थित :–

वादी स्वंय

प्रतिवादी क्रम 01 व 02

दावा इन्द्राज दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88,89, आर.टी.एक्ट

निर्णय

वादी द्वारा जर्ये एडवोकेट वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम खेडली कंदाफल पटवारी हल्का देवली तहसील सांगोद हाल तहसील कनवास मे खसरा नंबर 124 की 0.51 है0 खसरा नंबर 198 की 0.62 है0, इस प्रकार कुल किता 02 की 1.13 है0, कृषि भूमि है स्थित है, खसरा नंबर 124 की 0.51 है0, कृषि भूमि के साबिक खसरा नंबर 36 रकबा 3 बीघा 03 बिस्वा तथा खसरा नंबर 198 की 0.60 है0, कृषि भूमि साबिक खसरा नंबर 94 की 03 बीघा 17 बिस्वा रही है, उक्त कृषि भूमि पूर्व में श्री औंकार पुत्र लोडक्या उर्फ धूल्या जाति धाकड निवासी ग्राम खेडली कन्दाफल के खाते में दर्ज रही है, उसने उक्त खसरा नंबर की भूमि को वादी व प्रतिवादी नंबर 02 को समभाग में पंजीकृत विक्रय विलेख दिंनाक 18.06.1983 के द्वारा विक्रय कर दिया था, उक्त कृषि भूमि को वादी व प्रतिवादी नंबर 02 की नाबालिग व्यवस्था में उनके संरक्षक के द्वारा खारीद की गई थी। जो कि वक्त खरीद से वादी व प्रतिवादी क्रम 02 के शांति पूर्व आधिपत्य में चली आ रही है, उक्त कृषि भूमि देख रेख वादी व प्रतिवादी नंबर 02 की नाबालिग व्यवस्था में संरक्षक पिता द्वारा की जाती रही तथा

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

वर्तमान मे वादी एवं प्रतिवादी नंबर 02 उनके खाते मे दर्ज उक्त कृषि भूमि में समभाग में शांति पूर्व उपयोग एवं उपभोग में है।

यह कि वादी के पिता का नाम श्री रामलाल है, वह फोरेस्ट रेंजर सरकारी नौकरी में था जिसका स्वर्गवास दिंनाक 02.12.1996 को हो चुका है वादी के पिता व रामलाल व प्रतिवादी नंबर 03 में उसके जीवनकाल में लगभग 70–75 बीघा कृषि भूमि विभिन्न नामों से क्रय की प्रतिवादी क्रम 03 के एक मात्र पुत्र प्रतिवादी नंबर 02 है, इस प्रकार श्री रामलाल के दो पुत्र वादी व मुकेश है।

यह कि दिंनाक 18.06.1983 को उक्त वर्णित कृषि भूमि को क्रय करते समय वादी व प्रतिवादी क्रम 01 को नाबालिग होने की वजह से उक्त कृषि भूमि को जर्ये संरक्षक खरीदी गयी थी तथा पंजीकृत विक्रय विलेख में वादी के पिता के स्थान पर श्री रामलाल का नाम दर्ज होना था पंरतु भुलवश वादी के पिता का स्थान पर प्रतिवादी क्रम 03 का नाम सहवन से डीड राईटर द्वारा लिख दिया गया जिसका पता तत्काल नंही चल सका जिसके वजह से उक्त पंजीकृत विक्रय विलेख के आधार पर खोला गया। नामान्तरण तथा तैयारी की गड़े जमाबंदी में भी वादी की वल्दीयत रामरत्न दर्ज कर दी गई जबकि वादी के पिता का नाम रामरतन न होकर रामलाल था, वादी के पिता श्री रामलाल वक्त रजिस्ट्री सरकारी नौकरी होने की वजह से मौके पर मौजूद नंही थे, जिसकी वजह से उक्त भूमि का पता उन्हें भी नंही चल पाया वादी के उक्त त्रृटि का पता सन् 2011–12 लगभग लगा, तो उसने प्रतिवादी नंबर 03 से जानकारी ली तो उसने बताया, मैनें वक्त रजिस्टर्ड नंही पढा था, इसलिए हो सकता है भूल हो गयी हो मैं इस त्रृटि को दुरूस्त करवाने में जो भी सहयोग होगा तुमको आवश्यक दूंगा।

वादी द्वारा पुनः अपने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम खेडली कन्दाफल पटवार हलका देवली तहसील कनवास में खसरा नंबर 124 की 0.51 है0, खसरा नंबर 198 की 0.62 है कुल खसरा किता 02 की रकबा 1.13 है0, कृषि भूमि में वादी का 1/2 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित करने का कष्ट करें साथ ही उक्त घोषणा के अनुक्रकम में इन्द्राज दुरूस्त किया जाकर वादी के पिता की वल्दियत रामरतन के स्थान पर रामलाल दर्ज कर इन्द्राज दुरूस्त किया जावे तथा वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी नंबर 02 व 03 के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्रदान की जावे कि वह राजस्व रेकार्ड में सहवन से हुई उक्त त्रृटि की वजह से ग्राम खेडली कन्दाफल पटवार हल्का देवली तहसील सांगोद हाल तहसील कनवास में खसरा नंबर 124 की 0.51 है0,खसरा नंबर 198 की 0.62 हे0, इस प्रकार कुल किता 02 की कुल 1.13 है0, कृषि भूमि में 1/2 हिस्सा तक किसी भी प्रकार से बाधा पहुंचाने का प्रयास नंही करें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलवी की गई।

पत्रावली सुनवाई हेतु राजस्व लोक अदालत शिविर में प्रस्तुत हुई वादी एवं प्रतिवादी क्रम 01 व 02 उपस्थित प्रतिवादी क्रम 01 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया तथा प्रतिवादी क्रम 02 द्वारा लोक अदालत की भावना से राजीनाम पेश किया तथा वादी का वादी स्वीकार किया।

हमारे द्वारा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया गया जिससे हम इस निष्कर्श पर पहुंचते हैं कि ग्राम खेडली कन्दाफल पटवार हलका देवली तहसील कनवास में खसरा नंबर 124 की 0.51 है0, खसरा नंबर 198 की 0.62 है कुल खसरा किता 02 की रकबा 1.13 है0, कृषि भूमि में वादी का 1/2 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित करने का कष्ट करें साथ ही उक्त

कार्यालय उप जिला कलेक्टर कनवास, जिला कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

घोषणा के अनुक्रकम में इन्द्राज दुरूस्त किया जाकर वादी के पिता की वल्दियत रामरतन के स्थान पर रामलाल दर्ज कर इन्द्राज दुरूस्त किया जाना उचित समझते हैं।

आदेश

अतः वादी का वाद स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम खेडली कन्दाफल पटवार हलका देवली तहसील कनवास में खसरा नंबर 124 की 0.51 है0, खसरा नंबर 198 की 0.62 है कुल खसरा किता 02 की रकबा 1.13 है0, कृषि भूमि में वादी नंदकुमार पुत्र रामलाल को 1/2 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है, साथ ही उक्त घोषणा के अनुक्रकम में इन्द्राज दुरूस्त किया जाकर वादी के पिता की वल्दियत रामरतन के स्थान पर रामलाल दर्ज कर इन्द्राज दुरूस्त किया जावे तथा वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी नंबर 02 व 03 के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्रदान की जाती कि वह राजस्व रेकार्ड में सहवन से हुई उक्त त्रुटि की वजह से ग्राम खेडली कन्दाफल पटवार हल्का देवली तहसील सांगोद हाल तहसील कनवास में खसरा नंबर 124 की 0.51 है0,खसरा नंबर 198 की 0.62 हे0, इस प्रकार कुल किता 02 की कुल 1.13 है0, कृषि भूमि में 1/2 हिस्सा तक किसी भी प्रकार से बाधा पहुंचाने का प्रयास नंही करें।

15-06-2017 को खूले न्यायालय में सुनाया गया।

कार्यालय उप जिला कलेक्टर कनवास, जिला कोटा

(प्रमोद कुमार आर ए एस)
पीठासीन अधिकारी राजस्व लोक अदालत
उपखण्ड प्रभार कनवास

अन्तिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा

प्रमोद कुमार (आर .ए.एस) राजस्व लोक अदालत शिविर प्रभारी अधिकारी उपखण्ड कनवास

1. नंदकुमार पुत्र रामलाल जाति धाकड निवासी खेडली कन्दाफल तहसील कनवास।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब कनवास।

2.शिवराज पुत्र रामरत्न जाति धाकड।

3.रामरत्न पुत्र नेनगीराम जाति धाकड निवासी खेडली कन्दाफल तहसील कनवास

दावा वास्ते खातेदारी घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती, स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नं 69/16 सन 2016 निर्णय दिंनाक 15.06.2017 बईजलास प्रमोद कुमार सिन्धव यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू उपखण्ड अधिकारी कनवास ब हाजरी वादी स्वंय एवं प्रतिवादी 01 राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास व प्रतिवादी क्रम 02 स्वयं मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती कि ग्राम खेडली कन्दाफल पटवार हलका देवली तहसील कनवास में खसरा नंबर 124 की 0.51 है0, खसरा नंबर 198 की 0.62 है कुल खसरा किता 02 की रकबा 1.13 है0, कृषि भूमि में वादी नंदकुमार पुत्र रामलाल को 1/2 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है, साथ ही उक्त घोषणा के अनुक्रकम में इन्द्राज दुरूस्त किया जाकर वादी के पिता की वल्दियत रामरतन के स्थान पर रामलाल दर्ज कर इन्द्राज दुरूस्त किया जावे तथा वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी नंबर 02 व 03 के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्रदान की जाती है कि वह राजस्व रेकार्ड में सहवन से हुई उक्त त्रुटि की वजह से ग्राम खेडली कन्दाफल पटवार हल्का देवली तहसील सांगोद हाल तहसील कनवास में खसरा नंबर 124 की 0.51 है0,खसरा नंबर 198 की 0.62 हे0, इस प्रकार कुल

कार्यालय उप जिला कलेक्टर कनवास, जिला कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

किता 02 की कुल 1.13 है0, कृषि भूमि में 1/2 हिस्सा तक किसी भी प्रकार से बाधा पहुंचाने का प्रयास नंही करें। व राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है। नीज ... X ...मुबलिग .... X ...बाबत ... X .. खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... X ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... X ..को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 15.06.2017 को जारी की गई।

मोहर ....

(प्रमोद कुमार आर ए एस)
पीठासीन अधिकारी राजस्व लोक अदालत
उपखण्ड प्रभार कनवास

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	---------NIL-----		स्टाम्प वकालतनामा	---------NIL-----	
स्टाम्प वकालतनामा ...			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकमनामा....		
बाबत इजराय हुकमनामा			मुतफर्रिक ...		
मुतफर्रिक			मीजान		
मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

(प्रमोद कुमार आर ए एस)
पीठासीन अधिकारी राजस्व लोक अदालत
उपखण्ड प्रभार कनवास